

प्रेषक,

आयुक्त,  
बरेली मण्डल, बरेली

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक:

एनओसी./

/2012-13

दिनांक:

28.6.2012

विषय:

स्वामी एजूकेशनल पब्लिक स्कूल, पूरनपुर, पीलीभीत को सी0वी0एस0ई0, बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 14.7.2009 के क्रम में गठित समिति के निर्णय दिनांक 28.6.2012 के क्रम में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उ0प्र0 सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है—

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सासाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौन्सिल फॉर दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

आयुक्त

बरेली मण्डल, बरेली

पू0सं0:  
प्रतिलिपि

एनओसी./

64-71 (31)

/2012-13

दिनांक: उक्तवत

निम्नांकित की सेवा में सूजनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग, लखनऊ
- 2- शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- 3- जिलाधिकारी, पीलीभीत
- 4- संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत
- 6- प्रबन्धक, स्वामी एजूकेशनल पब्लिक स्कूल, पूरनपुर, पीलीभीत
- 7- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ

आयुक्त

बरेली मण्डल, बरेली